IV 322

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 132558

27 SEP 2007

संशोधन पत्र ट्रस्ट डीड

श्रीमती अंजली पुत्री स्व0 श्री शिव नारायण सिंह निवासी 581/2, जागृति विहार, मेरठ-----प्रथम पक्ष

व श्री शीशपाल सिंह पुत्र श्री गजराज सिंह निवासी पांचली खुर्द, मेरठ ------------------द्वितीय पक्ष

व डा0 सोमेन्द्र तोमर पुत्र श्री महेन्द्र सिंह निवासी सी-22, प्रोफेसर्स क्वाटर्स, चौधरी चरण सिंह, विश्व विद्यालय परिसर, मेरठ--तृतीय पक्ष

जोकि तीनों पक्ष धार्मिक प्रवृति के हैं और समाज सेवा व शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के इच्छुक हैं जिसके लिये प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष ने एक चैरीटेबल ट्रस्ट नीलकण्ठ एजुकेशन ट्रस्ट के नाम से अंकन 10,000/- रूपये (दस हजार रूपये) की धनराशि से स्थापित किया, जिसका मुख्य कार्यालय 581/2,

अंजली   शीशपाल सिंह

भारतीय गैर न्यायिक
एक सौ रुपये
Rs. 100
रु. 100
ONE HUNDRED RUPEES
सत्यमेव जयते
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
S 448362
11 OCT 2007

जागृति विहार, मेरठ है जिसका विधिवत ट्रस्ट डीड 22.07.2006ई0 को निष्पादित हुआ। जिसकी रजिस्ट्री फोये स्टेट प्रति पुस्तक संख्या 4 खण्ड 319 के सुफे 221/242 में नम्बर 264 पर दफ्तर सब रजिस्ट्रार मेरठ प्रथम हुई। उक्त विलेख में परिस्थिति वश कुछ संशोधन की आवश्यकता है तथा द्वितीय पक्ष सामाजिक कार्य में व निर्वहन में अपनी सेवायें देने में असमर्थ हैं इसलिये द्वितीय पक्ष ने उक्त ट्रस्ट से

अंजली   शोभपाल सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

02AA 402079

त्यागपत्र देकर ट्रस्ट के सचिव के दायित्व से पदमुक्त एवं ट्रस्ट से अवमुक्त हो गये हैं, तथा तृतीय पक्ष उक्त ट्रस्ट में द्वितीय पक्ष के स्थान पर ट्रस्टी एवं सचिव नियुक्त किये गये हैं, तथा प्रथम पक्ष पूर्व की भांति अध्यक्ष हैं जो जीवन पर्यन्त रहेंगें। ट्रस्ट विलेख दिनांक 22.07.2006ई0 में कुछ संशोधन प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष ने आपसी सहमति से किये हैं। जिनका

अंजली

शीशपाल सिंह

S Singh

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 02AA 399210

संशोधन ट्रस्ट डीड में होना वैधानिक दृष्टिकोण से अनिवार्य है। अतः पक्षकार शान्तिपूर्वक विचार करके स्वस्थ मस्तिष्क व निर्मल इन्द्रियों की दशा में ट्रस्ट विलेख दिनांक 22.07.2006ई0 में निम्न संशोधन करते हैं।

1- यहकि ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रथम पक्ष श्रीमती अंजली व सचिव तृतीय पक्ष डा0 सोमेन्द्र तोमर होंगें, तथा अध्यक्ष एवं सचिव का कार्यकाल पूर्व विलेख में संशोधित कर जीवन पर्यन्त रहेगा।

2- यहकि ट्रस्ट विलेख दिनांक 22.07.2006ई0 की धारा-11 में वर्णित समस्त कार्य अध्यक्ष व सचिव सम्पादित करेंगें एवं सभी समिति एवं उपसमितियों का संचालन अध्यक्ष एवं सचिव ही करेंगें।

3- यहकि ट्रस्ट विलेख दिनांक 22.07.2006 की धारा-13 में वर्णित पदाधिकारीगण में उपाध्यक्ष उपसचिव एवं कोषाध्यक्ष के पद समाप्त कर दिये गये हैं। ट्रस्ट में केवल अध्यक्ष एवं सचिव ही होंगें। इसके अतिरिक्त जो भी अन्य ट्रस्टी होगा वह सदस्य के रूप में रहेगा।

अंजली

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

02AA 399211

4- यहकि ट्रस्ट विलेख दिनांक 22.07.2006 की धारा 23 में बैंक खातों के संचालन की व्यवस्था को संशोधित करके व्यवस्था की गयी है कि बैंक खातों का संचालन अध्यक्ष एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा।

5- यहकि तृतीय पक्ष को सर्व सम्मति से ट्रस्टी नियुक्त किया है जो जीवन पर्यन्त ट्रस्टी होंगें और ट्रस्ट के सचिव के रूप में जीवन पर्यन्त ट्रस्ट को अपनी सेवायें प्रदान करेंगें।

6- यहकि ट्रस्ट की शेष नियम एवं शर्ते ट्रस्ट विलेख दिनांक 22.07.2006ई0 रजिस्ट्रीशुदा जिसकी रजिस्ट्री फोटो स्टेट प्रति पुस्तक संख्या 4 खण्ड 319 के सुफे 221/242 में नम्बर 264 पर दफ्तर सब रजिस्ट्रार मेरठ प्रथम हुई के अनुसार रहेंगी और यह संशोधन पत्र उसका अंग रहेगा और उसके साथ पढ़ा व सुना जायेगा। यहां यह स्पष्ट करना अनिवार्य है कि वर्तमान में ट्रस्ट में कुल दो ट्रस्टी प्रथम पक्ष, श्रीमती अंजली एवं तृतीय पक्ष डा0 सोमेन्द्र तोमर ही हैं द्वितीय पक्ष श्री शीशपाल सिंह ट्रस्ट से पदमुक्त एवं अवमुक्त हो गये हैं यानि अलग हो गये हैं।

अंजली

शीशपाल सिंह

बीस रुपये भारत Rs.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 02AA 399212

7- यहकि समस्त नियमों की पाबन्दी तीनों पक्षों पर होगी एतदद्वारा संस्थापित किया गया ट्रस्ट अप्रतिसंहरणीय होगा, परन्तु यदि किसी कारणवश से ट्रस्टीगण उक्त ट्रस्ट का संचालन करने में असमर्थ हो तो ट्रस्ट की सभी सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों को निस्तारण कर ट्रस्ट की सभी देनदारियों का भुगतान करने के पश्चात ट्रस्ट का विघटन कर सकते हैं तथा इसके पश्चात जो भी लाभ या हानि होगी व ट्रस्टीगण द्वारा वहन किया जायेगा।

अंजली   शीशपाल सिंह

मुकिर श्रीमती अंजली के दोनों हाथ की उंगलियों के निशानात

मुकिर शीशपाल सिंह के दोनों हाथ की उंगलियों के निशानात

अंजली   शीशपाल सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

Rs.20

रु.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 02AA 399213

मुकिर डा0 सोमेन्द्र तोमर के दोनों हाथ की उंगलियों के निशानात

अंजली

शीशपालसिंह

गवाह

गवाह

तहरीर तारीख 16.10.2007ई0। मसविदा पवन कुमार गर्ग, दस्तावेज लेखक, मेरठ।

पवन कुमार गर्ग

दस्तावेज लेखक

सिविल कोर्ट, मेरठ